भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3452

13 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

पारंपरिक औषधीय ज्ञान

3452. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, सोवा-रिग्पा और होम्योपैथी सहित आयुष चिकित्सा पद्धति से संबंधित पारंपरिक औषधीय ज्ञान को चिह्नित करने, प्रलेखित करने और डिजिटल करने के लिए कोई पहल की है और यदि हाँ, तो पद्धति-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बौद्धिक संपदा सुरक्षा उपायों सहित पारंपरिक औषधीय ज्ञान को जैव-चौर्य, दुर्विनियोजन या दुरुपयोग से बचाने के लिए कोई तंत्र विद्यमान है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयुष संस्थानों और अस्पतालों के भीतर शिक्षा, अनुसंधान और नैदानिक अभ्यास (क्लीनिकल प्रैक्टिस) में पारंपरिक औषधीय ज्ञान को एकीकृत किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आयुष पद्धतियों से जुड़े पारंपरिक चिकित्सकों, वैद्यों और सामुदायिक ज्ञानधारकों को वित्तीय सहायता, अनुसंधान अनुदान या क्षमता निर्माण सहायता प्रदान की जा रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने आयुष चिकित्सा पद्धति में पारंपरिक औषधीय ज्ञान को बढ़ावा देने, मान्य करने और समान लाभ-साझाकरण सुनिश्चित करने के लिए कोई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, डेटाबेस या ज्ञान-साझाकरण पहल की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): जी हाँ, पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय (टीकेडीएल) भारतीय पारंपरिक ज्ञान का एक पुराना डेटाबेस है जिसे 2001 में वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) और उस समय के भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपथी विभाग (अब आयुष मंत्रालय) ने मिलकर बनाया था। टीकेडीएल में अभी आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, सोवा-रिग्पा और योग जैसे भारतीय चिकित्सा पद्धति से जुड़े पुराने अध्ययनों की जानकारी है। संस्कृत, हिंदी, तमिल, मलयालम, अरबी, फ़ारसी, उर्दू, भोटी इत्यादि जैसी सामान्य भाषाओं में मौजूद जानकारी को टीकेडीएल डेटाबेस में पाँच अंतराष्ट्रीय भाषाओं, अर्थात अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पैनिश और जापानी में दर्ज किया गया है। अब तक टीकेडीएल डेटाबेस में भारतीय चिकित्सा पद्धति और योग अध्ययनों से कुल 519978 फार्मूलेशन/तकनीक दर्ज की जा चुकी हैं। इसमें आयुर्वेद में 148846 फार्मूलेशन/तकनीक, यूनानी में 265496, सिद्ध में 89403 और सोवा रिग्पा में 9097, और योग अध्ययन में 7136 शामिल हैं। इसमें आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा से 2935 सर्जिकल पद्धतियां, डिवाइस/उपकरण, उपचार और आहार उपचार शामिल हैं ।

इसके अलावा, आयुष मंत्रालय ने आयुसॉफ्ट पोर्टल प्रारंभ किया है जो शास्त्रीय आयुर्वेदिक पाठों को एक प्रामाणिक ज्ञान के भंडार में अंतरित करता है, और इसमें निम्न पेशकश की जाती हैं:

i. आयुर्विद्याना (आयुर्वेदिक विश्वकोश),
ii. शब्द निधि (आयुर्वेदिक शब्दों की शब्दावली),
iii. ई-संहिता (ई-बुक्स पोर्टल)

पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, पासीघाट लोक चिकित्सा के क्षेत्र में स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं के अनुसंधान के प्रलेखन में सक्रिय रूप से संलग्न है, जैसे कि नागालैंड के मोकोकचुंग जिले की आओ जनजातियों, उत्तर पूर्वी भारत की ताई फाके जनजाति और मेघालय की खासी, गारो और जयंतिया जनजातियों की पारंपरिक अस्थि-संरक्षक (टीबीएस) प्रथाओं के बीच उपचार पद्धतियों और लोक औषधीय दावों का प्रलेखन और सत्यापन करना।

आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (मानित विश्वविद्यालय), जयपुर, पुस्तकालयों, निजी संग्रहों, मंदिरों और पारंपरिक वैद्य परिवारों में मौजूद पारंपरिक औषधीय ज्ञान और आयुर्वेद पांडुलिपियों के सर्वेक्षण, पहचान, संरक्षण, सूचीकरण और डिजिटलीकरण के लिए एक राष्ट्रीय नोडल केंद्र के रूप में (दिसंबर 2020 से) कार्य कर रहा है। ताड़ के पत्तों, हस्तनिर्मित कागज और अन्य पारंपरिक सामग्रियों पर लिखी गई दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों और पुरानी दुर्लभ आयुर्वेद पुस्तकों को शैक्षणिक और अनुसंधान उद्देश्यों के लिए डिजिटल रूप से संरक्षित और संग्रहीत किया जा रहा है। आज तक, 560 आयुर्वेद पांडुलिपियों और 356 दुर्लभ आयुर्वेद पुस्तकों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है।

केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) ने एपीटीए (आयुर्वेद की प्रामाणिक प्रमुख पाठ्यपुस्तकें) डिजिटल लाइब्रेरी (आयुर्वेद ग्रंथ समुच्चय), आयुष पांडुलिपि उन्नत भंडार (एएमएआर), आयुर्वेदिक ऐतिहासिक मुद्रणों का प्रदर्शन (एसएएचआई) और ई-मेडिकल हेरिटेज अभिगम (ई-मेधा) विकसित किया है।

केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद (सीसीआरएस) ने मिशन पी2पी मोड (ताड़ के पत्तों से कागज पर) के माध्यम से सिद्ध से संबंधित पुरानी पुस्तकों सहित पारंपरिक ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों के संरक्षण, परिरक्षण और डिजिटलीकरण से संबंधित अनुसंधान कार्य शुरू किया है।

आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आईटीआरए), जामनगर के केंद्रीय पुस्तकालय ने 1956 से अब तक किए गए कई पांडुलिपियों और अलग-अलग पीजी-पीएचडी अनुसंधान कार्य को प्रलेखित किया है।

राष्ट्रीय सोवा रिग्पा संस्थान, लेह ने औषधियों और प्राचीन चिकित्सा पांडुलिपियों से संबंधित लगभग 70 सोवा-रिग्पा चिकित्सा साहित्य का डिजिटलीकरण किया है और नई दिल्ली स्थित सीएसआईआर-टीकेडीएल इकाई के सहयोग से सोवा-रिग्पा पारंपरिक ज्ञान की डिजिटल लाइब्रेरी पर एक परियोजना कार्यान्वित कर रहा है।

(ख): टीकेडीएल को बौद्धिक संपदा अधिकार के माध्यम से भारतीय पारंपरिक ज्ञान के गलत उपयोग को रोकने के लिए बनाया गया था। इस पुराने डेटाबेस की पहुंच विश्व भर के 18 पेटेंट कार्यालयों को दिया गया है, जिन्होंने फाइल किए गए पेटेंट आवेदनों के संदर्भ में अनुसंधान और जांच के उद्देश्य से सीएसआईआर के साथ नॉन-डिस्क्लोजर एक्सेस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पेटेंट आवेदन की जांच के लिए पेटेंट कार्यालय द्वारा टीकेडीएल डेटाबेस के उपयोग के अलावा, सीएसआईआर-टीकेडीएल इकाई, टीकेडीएल साक्ष्यों के आधार पर भारतीय पारंपरिक ज्ञान से जुड़े पेटेंट आवेदनों पर तृतीय पक्ष टिप्पणियां और पूर्व-अनुदान विरोध भी फाइल करती है। वर्ष 2009 से, टीकेडीएल साक्ष्यों के आधार पर 375 पेटेंट

आवेदनों को या तो मना कर दिया गया, वापस ले लिया गया/मानद रूप से वापस ले लिया गया या बदला गया अथवा रद्द कर दिया गया, इस तरह भारतीय पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित किया गया।

आयुष मंत्रालय के परामर्श से पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क नियंत्रक महानिरीक्षक कार्यालय (सीजीपीडीटीएम) ने आयुष से संबंधित आविष्कारों की जांच के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश आयुष पद्धतियों से संबंधित पेटेंट आवेदनों को दाखिल करने और उनकी जांच के लिए एक स्पष्ट ढांचा प्रदान करते हैं। दिशानिर्देशों में यह निर्देश दिया गया है कि पेटेंट केवल उन्हीं आविष्कारों को दिए जाएंगे जो नवीनता, आविष्कारशील चरण और औद्योगिक प्रयोज्यता के मानदंडों को पूरा करते हों, साथ ही टीकेडीएल जैसे डेटाबेस के माध्यम से मौजूदा पारंपरिक ज्ञान के पेटेंट को प्रतिबंधित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत प्रावधान जैविक संसाधनों और संबंधित पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच को विनियमित करते हैं और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) के माध्यम से निष्पक्ष और समान लाभ साझाकरण सुनिश्चित करते हैं।

(ग): आयुष मंत्रालय के अधीन आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा संबंधी अनुसंधान परिषदें देश भर में फैले अपने परिधीय संस्थानों के माध्यम से इस क्षेत्र में अनुसंधान कर रही हैं। इसके अलावा, आयुष के प्रचार-प्रसार के लिए मंत्रालय द्वारा एक आयुष अनुसंधान पोर्टल विकसित किया गया है, जहां 43,614 साक्ष्य-आधारित शोध लेख सूचीबद्ध हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) ने पारंपरिक ज्ञान के प्रलेखन, विश्लेषण और अकादमिक अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए पाठ्यक्रम में अनुसंधान पद्धति और अनुसंधान-उन्मुखी वैकल्पिक विषयों को शामिल किया है।

(घ): आयुष मंत्रालय वर्ष 2021-22 से आयुष में अनुसंधान एवं नवाचार को समर्थन देने के उद्देश्य से 'आयुर्ज्ञान' नामक एक केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसके अंतर्गत बाह्य अनुसंधान गतिविधियों और शैक्षणिक गतिविधियों, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण आदि के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। इस योजना के 3 घटक हैं, अर्थात्

(i) आयुष में क्षमता निर्माण और सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई)

(ii) आयुष में अनुसंधान और नवाचार

(iii) आयुर्वेद जीवविज्ञान एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान को भी वित्तीय वर्ष 2023-24 से योजना के अंतर्गत तीसरे घटक के रूप में जोड़ा गया है।

उपरोक्त योजना के तहत, योजना के दिशानिर्देशों में निहित प्रावधानों के अनुसार, देश भर में पात्र संगठनों/संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
सीसीआरएएस, वैज्ञानिक सत्यापन और साक्ष्य-आधारित मूल्यांकन के माध्यम से व्यावहारिक आयुर्वेद पद्धतियों को मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से सीसीआरएएस आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल (सीसीआरएएस-एजीएनआई) का कार्यान्वयन कर रहा है। इस पहल का विवरण इस लिंक से प्राप्त किया जा सकता है: https://ccras.nic.in/wp-content/uploads/2024/11/CCRAS-AGNI-2.0.pdf। इस पहल का एक उद्देश्य आयुर्वेद चिकित्सकों को अनुसंधान विधियों और बेहतर नैदानिक प्रथाओं में प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण प्रदान करना है।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान भारतीय गुणवत्ता परिषद, भारत सरकार द्वारा पारंपरिक चिकित्सकों के प्रमाणीकरण प्रक्रिया के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।

(ङ) आयुष मंत्रालय, आयुष के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने हेतु केंद्रीय क्षेत्र योजना (आईसी योजना) का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना के तहत, मंत्रालय भारतीय आयुष औषधि निर्माताओं/आयुष सेवा प्रदाताओं को आयुष उत्पादों और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान करता है; आयुष चिकित्सा पद्धतियों के अंतर्राष्ट्रीय प्रचार, विकास और मान्यता को सुगम बनाता है; अंतर्राष्ट्रीय स्तर

पर हितधारकों के बीच संवाद और आयुष के बाजार विकास को बढ़ावा देता है; विदेशों में आयुष अकादमिक पीठ की स्थापना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष चिकित्सा पद्धतियों के संबंध में जागरूकता और अभिरुचि को बढ़ावा देना तथा इसके सुदृढ़ीकरण के लिए प्रशिक्षण, कार्यशालाओं/संगोष्ठियों का आयोजन करके शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देता है। सीएसएस आईसी योजना के तहत, 27 देश-दर-देश समझौता ज्ञापनों (एमओयू), 16 आयुष पीठ एमओयू और 54 संस्थान-से-संस्थान स्तर के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
